


विवेक ढांड
मुख्य सचिव
Vivek Dhand
Chief Secretary



अर्द्धशासकीय पत्र क्र. 1060 CS /20
छत्तीसगढ़ शासन
Government of Chhattisgarh
रायपुर, दिनांक : 28/06/2014

विषय:- नल जल प्रदाय योजनाओं (PWSS) से शत-प्रतिशत घरेलु कनेक्शन प्रदान कर ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने बाबत।

प्रिय सार्वी,


स्वच्छ पेयजल मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। इसके अभाव में जल जनित संक्रमण से 80% बीमारियां होती हैं। राज्य में पेयजल आपूर्ति का परम्परागत स्रोत 2 लाख 88 हजार हैण्डपम्प हैं। स्वच्छ पेयजल का आदर्श माध्यम सतही जल आधारित (surface water based) नल जल प्रदाय योजनाएं (PWSS) हैं। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 2,842 जल प्रदाय योजनाएं स्वीकृत हैं, जिसमें से 2263 पूर्ण योजनाओं के माध्यम से पेयजल प्रदाय किया जा रहा है। देश में PWSS से जहां 40.81% ग्रामीण आबादी लाभान्वित है, वहीं छत्तीसगढ़ में यह प्रतिशत मात्र 20.56% है। इसी प्रकार वर्तमान में मात्र 4.7% ग्रामीणों को ही घरेलु कनेक्शन (household connection) उपलब्ध हैं, जो राष्ट्रीय औसत व अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी कम है।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रदाय योजनाओं (PWSS) का संचालन/संधारण ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। कई स्थानों पर आर्थिक कठिनाइयों के कारण यह ठीक से नहीं हो पा रहा है। घरेलु कनेक्शन के लिए पंचायतों द्वारा सामान्यतः कनेक्शन चार्ज के रूप में रु. 500/- एवं मासिक रु. 50/- लिया जाता है। कनेक्शन चार्ज की राशि अधिक होने के कारण अनेक ग्रामीण परिवार घरेलु कनेक्शन में रुचि नहीं लेते हैं, जिससे नल जल योजनाएं अपनी पूर्ण क्षमता के साथ संचालित नहीं हो पाती हैं। जैसे यदि योजना में एक हजार घरेलु कनेक्शन की क्षमता है तो मात्र 30-40% घरेलु कनेक्शन ही हो पाते हैं। यही कारण है कि प्रदेश में 2263 नल जल योजनाओं में अभी तक मात्र एक लाख 83 हजार घरेलु कनेक्शन ही हैं। कम घरेलु कनेक्शनों के

T.S.

28/6/14

- 2 -



कारण योजना आर्थिक दृष्टि से economically viable नहीं हो पाती है, क्योंकि कनेक्शन कम होने पर भी योजना का संचालन व्यय कम नहीं होता।

3. उपर्युक्त तथ्यों के मददेनजर यदि अभियान चलाया जाकर सभी नल जल योजनाओं में उनकी क्षमता के अनुरूप घरेलु कनेक्शन दिये जाते हैं तो ये योजनाएं आर्थिक तौर पर सफलतापूर्वक संचालित हो सकती हैं। ग्राम पंचायतों को इसके संचालन एवं संधारण हेतु समुचित राशि भी उपलब्ध हो सकेगी। 13वें वित्त आयोग में उपलब्ध पेयजल मद की 15% राशि का उपयोग बी.पी.एल. श्रेणी के ग्रामीणों के कनेक्शन चार्ज एवं इस हेतु आवश्यक पाईप क्रय हेतु किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पंचायतों में उपलब्ध मूलभूत मद, खनिज रायल्टी तथा मान. सांसद/विधायक निधि का उपयोग भी आप माननीय जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर इस संबंध में कर सकते हैं।

4. उपरोक्त राशि का उपयोग करते हुए जिन ग्रामों में PWSS संचालित है, (जिलेवार सूची संलग्न है) में घरेलु कनेक्शन हेतु विशेष अभियान चलाकर बी.पी.एल. श्रेणी के हितग्राहियों को अधिकाधिक लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा जाए। इस सम्पूर्ण कार्य योजना में आपकी भूमिका टीम लीडर के रूप में हो, तो प्रदेश में अभी तक जितने घरेलु कनेक्शन हैं, उससे दुगुने घरेलु कनेक्शनों का लक्ष्य आगामी 2 या 3 माह के भीतर ही प्राप्त किया जा सकता है। वर्षा ऋतु में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं होने के कारण कै-दस्त व अनेक बीमारियां होती है, जिसे देखते हुए इसके लिए विशेष अभियान चलाया जावे।

मैं आशा करता हूँ कि यह कार्य आपके द्वारा समुचित व्यूह रचना तैयार कर प्राथमिकता से किया जायेगा। कृत कार्यवाही से मुझे व सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को कृपया अवगत भी करायें।

सहपत्र- उपरोक्तानुसार.

सु-नेह

भवदीय,

Gurinder

(विवेक ढाँड)

सहायक कलेक्टर,
उन्नीसगढ़



- 3 -

संक्र. 1061 /2014

रायपुर, दिनांक 28/06/2014

प्रातिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. संभागीय आयुक्त, रायपुर/बिलासपुर/सरगुजा/बस्तर/दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य सचिव
छ.ग.शासन

जिलेवार ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाओं की संख्या

क्रमांक	जिला	पूर्ण योजनाओं में से चालू योजनाओं की संख्या
1	रायपुर	144
2	बलौदाबाजार	127
3	गरियाबंद	83
4	धमतरी	94
5	महासमुंद	126
6	दुर्ग	94
7	बैमतरा	88
8	बालोद	132
9	राजनांदगांव	175
10	कबीरधाम	72
11	बस्तर	67
12	कोण्डागांव	45
13	नारायणपुर	5
14	दन्तेवाड़ा	16
15	सुकमा	12
16	बीजापुर	3
17	कांकेर	55
18	बिलासपुर	168
19	मुंगेली	44
20	कोरबा	67
21	जांजगर--चांपा	177
22	रायगढ़	222
23	जशपुर	81
24	सरगुजा	25
25	बलरामपुर	26
26	सूरजपुर	54
27	कोरिया	61
	कुल	2263

